



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

"वर्कचार्ज वर्ग"

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून।

OFFICE OF THE ENGINEER-IN-CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

Website-http://pwd.uk.gov.in

E-Mail- cepwdua@gmail.com

पत्रांक:- ५७३ / 23का0प्र0-अधि0 / 20

दिनांक:- ०५.08.2020

"कार्यालय ज्ञाप"

लोक निर्माण अनुभाग-01 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून का पत्र सं0-1093/III (1) / 20-04(57)रि0या0 / 2018 दिनांक-30.07.2020 जो अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0, लैन्सडौन (गढ़वाल) को सम्बोधित एवं प्रति इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, के द्वारा वर्कचार्ज की सेवा को सम्मिलित करते हुए श्रीमती विद्या देवी, पत्नी स्व0 श्री सुरेन्द्र सिंह के पेंशन प्रकरण के संबंध में निम्नवत् निर्देशित किया गया है:-

" सेवा अभिलेखों के अनुसार श्री सुरेन्द्र सिंह, बेलदार अनियमित कार्यप्रभारित की नियुक्ति तिथि दिनांक-01.11.1992 है जिनकी दिनांक-10.10.2002 को सेवाकाल में अनियमित कार्यप्रभारित के पद पर ही मृत्यु हो गयी थी, उनकी कुल सेवा अवधि 09 वर्ष 11 माह 10 दिन होने से अवगत कराया गया है।

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं0-193/XXXVI (3)/ 2018/27(1)/18 देहरादून, दिनांक-13.04.2018 के द्वारा उत्तराखण्ड सेवानिवृत्तिक लाभ विधेयक 2018 के नियम 06 (क) में पेंशन अनुमन्यता हेतु सेवा अवधि का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:-

(क) 10 वर्ष से न्यून अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन अनुमन्य नहीं होगी (06 माह और 06 माह से अधिक अवधि का 01 वर्ष माना जायेगा तथा 06 माह से कम की अवधि को गणना में नहीं लिया जायेगा)।

उक्तानुसार श्री सुरेन्द्र सिंह, बेलदार के पेंशन प्रकरण के सम्बन्ध में शासन द्वारा पूर्व में जारी आदेश संख्या-372/III(1)/20-04(54)रि0या0 / 15 दिनांक-04.02.2020 का अनुपालन सुनिश्चित करें। "

अतः उपरोक्त शासकीय निर्देशों के कम में स्व0 श्री सुरेन्द्र सिंह की पत्नी श्रीमती विद्या देवी को पारिवारिक पेंशन दिये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।

हस्ताक्षर -
(इं0 हरिओम शर्मा)

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. वित्त नियंत्रक/सहायक लेखाधिकारी को उपरोक्तानुसार स्व0 श्री सुरेन्द्र सिंह, बेलदार, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, लैन्सडौन (गढ़वाल) की सेवा पुस्तिका के आधार पर वेतन निर्धारण/पेंशन प्रकरण की जांच सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करने का कष्ट करें। उक्त विषयक प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष अवमानना वाद विचाराधीन है, जिसमें सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, शासन को मा0 न्यायालय की ओर से अवमानना वाद का नोटिस जारी किया गया है। जिसमें दिनांक-07.08.2020 से पूर्व मा0 न्यायालय के समक्ष प्रत्युत्तर दाखिल किया जाना है।
- संलग्न:- सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका।
3. मुख्य अभियन्ता (अधि0), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय/रा0मा0/ए0डी0बी0/पी0एम0जी0एस0वाई0, लोक निर्माण विभाग -----।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, ----- वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, -----।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, प्रा0/नि0/अ0ख0/रा0मा0/वि0/यॉ0 खण्ड, लो0नि0वि0, -----।
7. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, लैन्सडौन (गढ़वाल) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्व0 श्री सुरेन्द्र सिंह, बेलदार, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, लैन्सडौन (गढ़वाल) के वेतन निर्धारण/पेंशन प्रकरण की जांच होने के उपरान्त उनकी पत्नी श्रीमती विद्या देवी को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत कराने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष